No.CDN-27011/2/2019-CDN-MCA
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Dated: 15.02.2019

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of January, 2019 is enclosed for information.

(Nilratan Das)
Deputy Secretary to the Govt. of India
Tele: 23389622

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

1. Cabinet Secretary, Cabinet Secretariat, New Delhi
2. Secretary to the President of India, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
3. Secretary to the Vice- President of India, Vice President's Secretariat, New Delhi.
4. The Principal Director General, Ministry of I & B, Shastri Bhawan, New Delhi
5. Secretary, Deptt. of Telecommunications, Sanchar Bhawan, New Delhi
6. Secretary, Deptt. of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi
7. Secretary, Deptt. of Statistics, Sardar Patel Bhawan, New Delhi
8. Secretary, Legislative Deptt., Shastri Bhawan, New Delhi
9. Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research,C.S.I.R Building, Rafi Marg, New Delhi
10. Secretary, Ministry of Environment & Forest, Paryavaran Bhawan, New Delhi
11. Secretary, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi
12. Secretary, Deptt. of Revenue, North Block, New Delhi
13. Secretary, Deptt. of Industrial Development, Udyog Bhawan, New Delhi
14. Secretary, Deptt. of Defence Production & Supplies, South Block, New Delhi
15. Secretary, Deptt. of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi

Copy to:

(i) Economic Advisor, MCA
(ii) Senior PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
(iii) Senior PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate affairs

Copy, also to: Dir (AK) - To upload the communication on official website of the MCA - under the caption "Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of January, 2019"

(Nilratan Das)
Deputy Secretary to the Govt. of India

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF JANUARY, 2019

1. Notifications:-

i. On 15.1.2019, amendments have been made in The National Company Law Tribunal 2016' to make changes in Rule 71(3)(b) and 71(4) to replace the words "Central Government" with the words "Regional Director". Pursuant to this amendment, the notices in respect of applications under section 61(1)(b) of the Act shall be served on RD concerned instead of on Central Government, earlier provided.

ii. On 22.01.2019, the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014 have been amended and a new sub-rule (11) has been inserted in Rule 9A. The said new sub-rule provides exemption to NIDHIs, Government companies and wholly owned subsidiary companies from the requirements of said Rule 9A which mandates issue/ transfer etc of securities of unlisted public companies only in dematerialised form.

iii. An Order called the Specified Companies (Furnishing of information about payment to micro and small enterprise suppliers) Order, 2019 under section 405 of the Companies Act, 2013 has been notified vide Notification no. 368(E) dated 22.01.2019 whereby the Specified Company shall file in MSME Form1 details of all outstanding dues to micro or small enterprises suppliers within 30 days from the date of publication of this notification and it shall also file a return as per MSME Form 1, by 31st October for the period from April to September and by 30th April for the period from October to March.

iv. The Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules, 2019 has been notified vide notification no. GSR 42(E) dated 22.01.2019 whereby Real Estate Investment Trust has been inserted in rule 2, in sub-rule 1, in clause (c), in sub-clause

(xviii) and further sub-rule (3) has been inserted in rule 16A, whereby every company other than Government company shall file a onetime return of outstanding receipt of money or loan by a company but not considered as deposits, in terms of clause (c) of sub-rule 1 of rule 2 from the 1st April, 2014 to the date of publication of this notification in the Official Gazette, as specified in Form DPT-3 within ninety days from the date of said publication of this notification along with fee as provided in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014. Further, by the said rules, form DPT-3 has been substituted and companies are required to give particulars of receipts of money or loan by a company but not considered as deposits, at the end of financial year, in terms of clause (c) of sub-rule 1 of rule 2 of Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014.

v. On 30.01.2019, the provisions of section 465 of the Companies Act, 2013 in so far as they relate to the repeal of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) [that in except in so far as they relate to the repeal of the Registration of Companies (Sikkim) Act, 1961 (Sikkim Act 8 of 1961)] were brought into force.

2. The Companies (Amendment) Bill, 2018 which sought to replace the Companies (Amendment) Ordinance 2018 was introduced in the Lok Sabha on 20.12.2018 and was passed on 04.01.2019 as Companies (Amendment) Bill, 2019. The Bill is yet to be passed in the Rajya Sabha. The Companies (Amendment) Ordinance, 2019 containing same provisions as in Companies (Amendment) Ordinance 2018 has been promulgated on 12.01.2019. The Companies (Amendment) Bill, 2019 is likely to be taken up for consideration and discussion in current session of Parliament.

3. The total number of cases pending before the Commission for final disposal at the end of January, 2019 are stated as below:-

Section	Pending Cases
19(1)	87
19(1)(a)	79
19(1) (b)	13
5& 6	12
Total	**191**

During the month of January, 2019, two(2) anti-trust cases were closed by the Commission. The Commission also disposed of twelve (12) combination notices during the month.

4. On 15th January, 2019, Competition Commission of India ("Commission") passed a cease and desist order against Chemists and Druggists Association of Baroda for indulging in the practice of mandating NOC and fixation of trade margins, which has been held to be anti-competitive in terms of the provisions of Section 3 of the Act. The Commission further imposed the OP with a penalty at the rate of 10% of its relevant income based on the income and expenditure account for three financial years filed by it for the relevant years.

5. The Commission passed the final order dated 15th January, 2019 in *suo-moto* case no. 03 of 2017 imposing penalty on Panasonic Energy India Co. Ltd. and Godrej & Boyce Manufacturing Co. Ltd. for colluding to fix prices of zinc-carbon dry cell batteries in India in contravention of the provisions of Section 3(3) (a) read with Section 3(1) of the Act. The Commission imposed a penalty of Rs. 31.75 Crores on M/s Panasonic and that of Rs. 85 lakhs on M/s Godrej & Boyce under the provisions of Section 27 of the Act. However, the Commission granted 100 percent reduction in penalty to M/s Panasonic in accordance with the provisions of Section 46 of the Competition Act, 2002 read with the CCI (lesser Penalty) Regulations, 2009.

6. In response to the powers conferred under proviso to sub regulation (3) of Regulation 23 of the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, Commission has made a public announcement, in interest of parties, that the number of information/references/responses or other documents as referred to in sub-regulation (1) of Regulation 23 shall stand reduced from six to two.

7. Shri P.K. Singh, Adviser, CCI was appointed as Secretary, CCI w.e.f 1st January, 2019

8. The Competition Law Review Committee constituted by this Ministry vide order dated 1st October, 2018 met for the second time on 18th January, 2019 to review the requisite amendments to the existing provisions of the Act in line with changing business environment.

सं. सीडीएन-27011/2/2018-सीडीएन-एमसीए

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, ए विंग, शास्त्री भवन,

डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

तारीखः .02.2019

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के जनवरी, 2019 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

नीलरतन दास

(नीलरतन दास)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाषः 23389622

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. कैबिनेट सचिव, केंद्रीय सचिवालय, नई दिल्ली
2. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
3. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
4. प्रधान महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
6. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
9. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सीएसआईआर बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली
10. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
11. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
12. सचिव, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
13. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
14. सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
15. सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषितः (i) आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(ii) सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(iii) अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

प्रतिलिपि प्रेषितः निदेशक (ए.के.) - एमसीए वेबसाइट पर "कारपोरेट कार्य मंत्रालय का जनवरी, 2019 का मासिक सार" के अंतर्गत अपलोड करने के लिए

नीलरतन दास

(नीलरतन दास)

उप सचिव, भारत सरकार

<u>कारपोरेट कार्य मंत्रालय</u>

जनवरी, 2019 माह के दौरान किए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

1. अधिसूचनाएं:-

i. दिनांक 15.01.2019 को, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, 2016 में नियम 71(3)(ख) और 71 (4) में "केंद्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "क्षेत्रीय निदेशक" करने के लिए संशोधन किये गए। इस संशोधन के अनुसरण में, इस अधिनियम की धारा 61 (1) (ख) के अंतर्गत आवेदनों के संबंध में नोटिसों की तामील केंद्रीय सरकार के स्थान पर संबंधित क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा की जाएगी।

ii. दिनांक 22.01.2019 को, कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) नियम, 2014 में संशोधन किया गया और नियम 9क में नया उपनियम (11) अंत:स्थापित किया गया। उक्त नये उपनियम में निधियों, सरकारी कंपनियां, पूर्णत: स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों को उक्त नियम 9क की अपेक्षाओं में छूट का प्रावधान है, जो पब्लिक कंपनियों की असूचीबद्ध प्रतिभूतियों के वितरण/स्थानांतरण इत्यादि को केवल अभौतिक रूप में करने का अधिदेश देता है।

iii. दिनांक 22.01.2019 की अधिसूचना संख्या 368(अ) के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 405 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कंपनी (सूक्ष्म एवं लघु उद्यम आपूर्तिकर्ता की अदायगी से संबंधित प्रस्तुत सूचना) आदेश 2019 नामक आदेश अधिसूचित किया गया है, जिससे विनिर्दिष्ट कंपनी, सूक्ष्म और लघु उद्यम के आपूर्तिकर्ताओं के सभी बकाया देय का विवरण एमएसएमई प्ररूप-1 में इस अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर फाइल करेगी और यह कंपनी एमएसएमई प्ररूप-1 के अनुसार अप्रैल से सितंबर तक की अवधि के लिए 31 अक्तूबर तक और अक्तूबर से मार्च तक की अवधि के लिए 30 अप्रैल तक विवरणी भी दायर करेगी।

iv. दिनांक 22.01.2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 42(अ) के माध्यम से कंपनी (जमाओं की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2019 अधिसूचित किया गया जिससे स्थावर संपदा निवेश न्यास को नियम 2 के उपनियम 1 के खंड (ग) के उपखंड (xviii) में अंत:स्थापित किया गया और इसके अलावा उपनियम (3) को नियम 16 क में अंत:स्थापित भी किया गया है जिससे सरकारी कंपनी के अलावा सभी कंपनियों के द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2014 से इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख तक जैसा प्ररूप डीपीटी-3 में विनिर्दिष्ट किया गया है, कथित अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 90 दिनों के भीतर कंपनी (रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 में दिये गए शुल्क सहित कंपनी के बकाया या ऋण जिसे नियम 2 के उपनियम 1 के खंड (ग) के अनुसार जमा नहीं माना गया, की एकबारगी विवरणी दायर करेगी। इसके अलावा, उक्त नियमों के द्वारा, प्ररूप डीपीटी-3 प्रतिस्थापित किया गया है और कंपनी (जमाओं की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2 के उपनियम 1 के खंड (ग) के अनुसरण में

राशि और ऋण की रसीदें, जिन्हें जमा नहीं माना गया का ब्यौरा कंपनियों को वित्तीय वर्ष के अंत में अपेक्षित है।

(v) दिनांक 30.01.2019 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 465 के उपबंध, जहां तक वे कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के निरसन से संबंधित हैं [(जो कंपनी (सिक्किम) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 (1961 का सिक्किम अधिनियम 8) में निरसन के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित हैं, को छोड़कर] लागू किये गए थे।

2. कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2018 जिसे कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के स्थान पर लाने के लिए 20.12.2018 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और जो 04.01.2019 को कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019 के रूप में पारित किया गया। इस विधेयक को अभी राज्य सभा में पारित किया जाना है। कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2019, जिसमें कंपनी (संशोधन) अध्यादेश 2018 के समान उपबंध सम्मिलित हैं, को दिनांक 12.01.2019 को प्रख्यापित किया गया। कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019 को विचार और परिचर्चा के लिए संसद के वर्तमान सत्र में लाए जाने की संभावना है।

3. जनवरी, 2019 के अंत तक, आयोग के समक्ष अंतिम निपटान के लिए कुल लंबित मामलो की संख्या निम्नानुसार हैं:-

धारा	**लंबित मामले**
19(1)	87
19(1)(क)	79
19(1)(ख)	13
5 और 6	12
कुल	**191**

जनवरी, 2019 माह के दौरान आयोग द्वारा दो (2) विश्वास विरोधी मामलों को बंद किया गया। आयोग ने इस माह के दौरान बारह (12) संयोजन नोटिसों का निपटान भी किया है।

4. 15 जनवरी, 2019 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ("आयोग") ने केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ऑफ बड़ोदा के विरूध अनापत्ति प्रमाणपत्र को अनिवार्य करने के कृत्यों में लिप्त होने और व्यापार लाभ निर्धारण करने जो अधिनियम की धारा 3 में दिये प्रावधानों के तहत प्रतिस्पर्धा विरोधी है, के लिए समाप्ति और निवृत्ति आदेश जारी किया है। इसके अलावा, आयोग ने कंपनी द्वारा फाइल किये गए तीन वित्तीय वर्षों की आय और व्यय लेखा के आधार पर कंपनी से संबंधित आय पर संबंधित वर्षों के लिए 10% की दर से ओपी लगाई गई है।

5. आयोग ने स्व-प्रेरणा से वर्ष 2017 का मामला सं. 3 में दिनांक 15 जनवरी 2019 को पैनासोनिक एनर्जीईंडिया कंपनी लि. और गोदरेज एंड बोएसी मैनुफैक्चरिंग क. लि. पर अधिनियम की धारा 3 (1) के साथ पठित धारा 3 (3)(क) उपबंधों के अंतर्गत भारत में जस्ता-कार्बन ड्राई सेल बैटरियां के मूल्यों को मिली भगत द्वारा निर्धारित करने के लिए शास्ति लगाने हेतु अंतिम आदेश दिया। आयोग ने अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों के अंतर्गत मैसर्स पैनासोनिक पर 31.75 करोड़ और मैसर्स गोदरेज एंड बोएसी पर 85 लाख की शास्ति लगाई है। तथापि, आयोग ने सीसीआई (लघु शास्ति) अधिनियम, 2009 के साथ पठित प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 46 में दिये उपबंधों के अंतर्गत मैसर्स पैनासोनिक पर लगाई गई शास्ति में शत प्रतिशत छूट की मंजूरी दी है।

6. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) विनियम, 2009 के विनियम 23 के उपविनियम (3) के परंतुक के अंतर्गत प्रदत्त शाक्तियां के अनुसरण में, आयोग ने पक्षों के हित में सार्वजनिक घोषणा की है कि विनियम 23 के उपविनियम (1) में यथा संदर्भित सूचना/उल्लेखों/प्रतिक्रियाओं या दस्तावेजों की संख्या को छ से घटा कर दो कर दी जाएगी।

7. दिनांक 1 जनवरी, 2019 को श्री पी के सिंह, सलाहकार, सीसीआई को सीसीआई के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था।

8. इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 01 अक्तूबर, 2018 के आदेश के द्वारा गठित प्रतिस्पर्धा विधि पुनरीक्षा समिति की दूसरी बैठक व्यवसायिक परिवेश में परिवर्तन लाने के लिए अधिनियम के मौजूद प्रावधानों में आवश्यक संशोधनों की पुनरीक्षा करने के लिए 18 जनवरी 2019 को हुई।